राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : सीबी/एनएस/संयुक्त–2137/2017/ दिनांक :–

–:: आदेश ::–

श्री शम्भू दयाल शर्मा, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, जनाना चिकित्सालय, जयपुर के विरूद्ध विभागीय जांच प्रस्तावित होने के परिणामस्वरूप मेरी राय में इन्हें राज्यसेवा से निलम्बित किया जाना आवश्यक है।

अतः राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम–1958 के नियम 13(I) में उल्लेखित प्रावधान के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री शम्भू दयाल शर्मा, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी को तुरन्त प्रभाव से राज्यसेवा से निलम्बित किया जाता है।

निलम्बनकाल में इनका मुख्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर के कार्यालय में रहेगा तथा इन्हें निलम्बनकाल में नियमानुसार वेतन का 50 प्रतिशत निर्वाह भत्ता देय होगा। आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित।

ह0/-
(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज0 जयपुर।

क्रमांक : सीबी/एनएस/संयुक्त–2137/2017/2535 दिनांक :– 28/11/17

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज, जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन–जयपुर।
5. अधीक्षक, जनाना अस्पताल, जयपुर करे प्रेषित कर लेख है कि श्री शम्भू दयाल शर्मा, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी को निलम्बन पर मुख्यालय पर उपस्थिति प्रस्तुत करने हेतु तत्काल कार्यमुक्त कर सूचित करें।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर को प्रेषित कर लेख है कि निलम्बित कार्मिक द्वारा आपके मुख्यालय पर उपस्थिति प्रस्तुत करने की तिथि से अवगत करावे एवं यह सुनिश्चित करले कि वे आपकी पूर्वानुमति के मुख्यालय नहीं छोड़े तथा नियमित रूप से उपस्थिति अंकित करें।
7. प्रशासनिक अधिकारी, नर्सिंग अनुभाग, मुख्यालय।
8. अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, अराजपत्रित/डी.पी.सी. अनुभाग, मुख्यालय।
9. श्री शम्भू दयाल शर्मा, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी (निलम्बित) द्वारा क्रम संख्या–05
10. आदेश/रक्षित पत्रावली।

(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज0 जयपुर।

D:\2017\C.B\N.S.doc\Order Suspend.doc